भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2317
08.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा देना

2317 **श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:**
क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और ईवी घटकों के स्वदेशी विनिर्माण में फेम-।। योजना के तहत कितनी प्रगति हुई हैं;
(ख) अब तक कितने इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी प्रदान की गई है और कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार की स्थानीय उत्पादन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ फेम-।। का विस्तार करने की कोई योजना है; और
(घ) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत बैटरी विनिर्माण और ईवी आपूर्ति श्रृंखलाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख): फेम-II स्कीम को 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2024 तक की पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया था। फेम-II के तहत ई-दुपहिया, ई- तिपहिया, ई-चौपहिया के लिए माँग प्रोत्साहन और ई-बसों तथा ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया गया।

फेम-II स्कीम के तहत वित्तीय छूट/सहायता प्रदत्त ईवी की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है-

इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी	30.06.2025 तक समर्थित वाहनों की संख्या
दुपहिया	14,35,065
तिपहिया	1,65,029
चौपहिया	22,644
बसें	तैनात - 5,165 (प्रतिबद्ध - 6,862)

01.07.2025 तक, फेम-II स्कीम के तहत 8,885 ईवीपीसीएस को संस्थापित किया जा चुका है।

फेम-II स्कीम के तहत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की शुरुआत इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेंबलियों/सबअसेंबलियों और पार्ट्स/सब-पार्ट्स के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। केवल उन्हीं ईवी को फेम-II के तहत प्रोत्साहित किया गया जो पीएमपी का अनुपालन करती थी ।

(ग): फेम-II स्कीम 31.03.2024 को समाप्त हो चुकी है और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत बैटरी विनिर्माण और ईवी आपूर्ति शृंखला में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग (पीएलआई-ऑटो) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम: उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए (ईवी और इसके घटकों सहित) भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ 23 सितंबर, 2021 को पीएलआई-ऑटो स्कीम को अधिसूचित किया गया था ।

राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए पीएलआई स्कीम: भारत सरकार द्वारा 50 गीगावाट घंटे की क्षमता के लिए 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मई, 2021 में पीएलआई-एसीसी स्कीम "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" को मंज़ूरी प्रदान की गई।

******